

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर**  
**जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-880 / 2012  
 संस्थित दिनांक –05.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

जितेन्द्र पंचतिलक पिता दयाराम, उम्र-22 वर्ष,  
 निवासी-ग्राम मेंडकी, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

**(आज दिनांक-08 / 05 / 2015 को घोषित)**

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-16.10.2012 को सुबह करीब 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम मेंडकी में फरियादी कुंदनलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी कुंदनलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-16.10.2012 को सुबह करीब 07:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत फरियादी कुंदनलाल अपने घर में था। उसका भाई डिलेश रोड पर लगे हेण्डपम्प में पानी भरने गया था। पानी भरने की बात को लेकर गांव का जितेन्द्र उसके भाई से झगड़ा कर रहा था, तब फरियादी कुंदनलाल हेण्डपम्प में जाकर झगड़े को शांत कराया, तब आरोपी जितेन्द्र वहां से वापस घर चला गया। थोड़ी देर बाद फरियादी कुंदनलाल अपने घर दातून करते हुए वापस आ रहा था कि अचानक आरोपी जितेन्द्र डण्डा लेकर उसके पीछे से आया और मादरचोद, बहनचोद, तू मेरे बीच में बोलने वाला कौन होता है कहकर उसके बाएं हाथ की कोहनी में मार दिया। फरियादी कुंदनलाल ने उसके डण्डे को पकड़ा तो आरोपी

जितेन्द्र ने उसके बाएं सीने में दांत से पकड़ लिया, तब उसके पिताजी और पड़ोस की शांतिबाई ने उनका बीच-बचाव किया। उक्त घटना को फूलवतीबाई तथा फूलचंद ने देखे व सुने हैं। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी कुंदनलाल द्वारा थाना बैहर में आरोपी के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-147/12, धारा-294, 323 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं विवेचना उपरान्त आरोपी के द्वारा फरियादी के सीने में दांत से काटे जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा-324 भा.द.वि. का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी कुंदनलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध धारा-294 भा.द.वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा-324 भा.द.वि. के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-16.10.2012 को सुबह करीब 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम मेंडकी में फरियादी कुंदनलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- कुन्दनलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना एक वर्ष पुरानी सुबह के 7:00 बजे की है। उसका भाई डिलेश हेण्डपम्प में पानी भरने गया था, तो आरोपी जितेन्द्र ने उसका डब्बा हटा दिया और उसके भाई डिलेश को हाथ से मारने लगा। उसने जाकर झगड़ा छुड़ाया। उसके

बाद वह अपने घर दतून लेकर वापस जा रहा था तो पीछे से आरोपी जितेन्द्र डण्डा लेकर आया और गाली-गलौज कर डण्डे से उसके सिर पर वार किया और उसके सीने में दांत से काट लिया। उस समय वहां शांतिबाई और फूलचंद वगैरह भी थे। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में जाकर की, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर उससे पूछताछ कर मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से वाद-विवाद हो गया था। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा उसे सीने में दांत से काट लिये जाने का कथन किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

7— निलेश उर्फ डिलेश (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी जितेन्द्र पंचतिलक उसके चाचा का लड़का है और आहत कुंदनलाल उसका भाई है। घटना दो साल पहले सुबह 7:00 बजे ग्राम मेंडकी के हेण्डपम्प की है। उसने हेण्डपम्प में पानी भरने को लेकर आरोपी जितेन्द्र से कहा कि तुमने पानी भर लिये अब मेरा नंबर है, तो उसी बात को लेकर आरोपी जितेन्द्र ने उसका डिब्बा फेंक दिया, उसने पुनः अपने डिब्बे को पानी भरने के लिए हेण्डपम्प में लगाया तो आरोपी जितेन्द्र ने उसे हाथ से मारा। बीच-बचाव करने के लिए उसका भाई कुंदन आया और बीच-बचाव करके चला गया। जब उसका भाई कुंदन, फूलवतीबाई के घर से वापस आ रहा था, तो आरोपी जितेन्द्र ने लकड़ी से कुंदनलाल को सिर पर मारा और बहनचोद की अश्लील गाली दिया, जो उसे सुनने में बुरी लगी। फिर वह छुड़ाने के लिए गया तो आरोपी जितेन्द्र ने कुंदनलाल के सीने पर दांत से कांट दिया। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी और कुंदन के बीच वाद-विवाद होकर झूमा झपटी हुई थी और उसमें कुंदन गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी ने आरोपी के द्वारा घटना के समय कुंदन को सीने में दांत से काट लिये जाने का कथन किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

9— मुरारी (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। प्रार्थी कुन्दनलाल उसका पुत्र है। घटना लगभग 6 माह पूर्व की सुबह 7:00 बजे की है। उसका छोटा लड़का डिलेश पानी लेने हेण्डपम्प गया था, तब आरोपी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। हल्ला सुनकर उसने जाकर बीच-बचाव किया था। बीच-बचाव कर वह घर आ गया था। बीच-बचाव कराने के लगभग 20 मिनट बाद आरोपी जितेन्द्र ने छिपकर उसके पुत्र कुन्दन के सिर पर डण्डे से मारा, जिससे उसके सिर पर चोट आई थी तथा कुन्दन के सीने में दांत से काटा था। घटना की रिपोर्ट करने वह तथा उसके दोनों लड़के पुलिस थाना गए जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के द्वारा आहत कुन्दन को सीने में दांत से काटकर चोट पहुंचाने का समर्थन किया है।

10— फूलवतीबाई (अ.सा.4), शांतिबाई (अ.सा.5), फूलचंद (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी। उक्त सभी साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उनके सामने आहत कुन्दन को दांत से काटा था एवं मारपीट किया था। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण ने अभियोजन मामले का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

11— डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.7) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-16.10.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से नायक सुमेर सिंह क्रमांक-101 द्वारा आहत कुन्दन पिता मुरारी, उम्र-25 वर्ष, निवासी मेंडकी को लाने पर उसके द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। साक्षी ने अपने अभिमत में कथन किये हैं कि आहत को आई चोट क्रमांक-1 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट क्रमांक-2 मानव द्वारा काटने से आ सकती थी। उक्त चोटें उसके परीक्षण के 12 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि चोट क्रमांक-1 व 2 कड़ी एवं मुरमुरी जगह पर गिरने से आ सकती है तथा चोट क्रमांक-2 स्वयं द्वारा कारित की जा सकती है। इस प्रकार साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत कुन्दन को सीने में बाईं ओर दांत से काटे जाने की चोट के संबंध में



पुष्टि की है।

12— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजिक सिद्धकी (अ.सा.8) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—16.10.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक कुन्दनलाल की सूचना पर प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक—147 / 12, धारा—294, 323 भा.द.वि. लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक जग्गूलाल वाघाड़े के हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवचेना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक—21.10.2012 को कुन्दनलाल की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी कुन्दनलाल, साक्षी शांतीबाई, फूलचंद, फूलवती बाई, निलेश, मुरारीलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक—22.10.12 को आरोपी जितेन्द्र से साक्षियों के समक्ष एक बांस का डण्डा जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—7 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को

14— बचाव पक्ष की ओर से उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आरोपी ने आहत कुंदनलाल के द्वारा किसी प्रकार से प्रकोपन प्राप्त करने पर उक्त उपहति कारित की थी। इस कारण आरोपी को धारा 334 भा.द.वि के अंतर्गत अपवादिक परिस्थिति का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

15— आरोपी के द्वारा आहत कुंदनलाल को धारदार दांत से काटकर उपहति कारित किये जाने के समय निश्चित रूप से उसका आशय उपहति कारित करने का रहा है तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त कृत्य से आहत को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा आहत को पहुंचाई गई उपहति स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कुंदनलाल को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

18— आरोपी जितेन्द्र पंचतिलक व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2012 से विचारण का सामना कर रहा है, तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

19— प्रकरण में आरोपी मामले में वर्ष 2012 से विचारण कर रहा है तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी से आहत कुन्दन के द्वारा राजीनामा किये जाने के फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध अन्य शमनीय अपराध का शमन किया गया है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए यदि आरोपी को कारावास से दंडित किया जाता है तो फरियादी और आरोपी के संबंध पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा राजीनामा का औचित्य भी नहीं रह जाता है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

20— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

21— आरोपी प्रकरण में अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है।

22— प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी का डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट